न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 28/2016 ::

अपीलांटगण :-

अमृतलाल पुत्र रामकुमारजी जाति नंदवाणा बोहरा निवासी नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट :-

1. ललितादेवी पत्नी सत्यनारायण जाति नंदवाणा बोहरा निवासी पोटलो जिला भीलवाड़ा
2. अर्जूनलाल पुत्र सत्यनारायण जाति नंदवाणा बोहरा निवासी पोटलो जिला भीलवाड़ा
3. सोनू पुत्री सत्यनारायण पत्नी रमेशकुमार जाति नंदवाणा बोहरा निवासी हरीगढ़ जिला कोटा
4. डिम्पल उर्फ हिना पुत्री सत्यनारायण निवासी पोटलो जिला भीलवाड़ा
8. तहसीलदार, देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-
अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री दीपाराम परमार व रामलाल भाटी

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 28.03.2018

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2144 दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाण्ट की ओर से एक अपील अमृतलाल बनाम रेस्पो. रामकुमार के का.मु. वगैरा अन्तर्गत धारा 225 राज. टिनेन्सी एक्ट श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में 10.05.2010 को प्रस्तुत की गई, जो विचाराधीन है। जिसके नम्बर अपील संख्या 15/2010 है तथा इस अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 10.05.2010 को श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय पाली द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश अपीलाण्ट के पक्ष में पारित किया गया है कि ग्राम नाडोल चक I के खसरा नम्बर 720, 1140/5365, 1146 कुल रकबा 4.74 है. व ग्राम नाडोल चक II के ख0 न0 2180 से 2183 कुल रकबा 4.82 है. के राजस्व रेकर्ड व मौके की आज की स्थिति दिनांक 01.07.2010 तक यथावत रखी जावें। उक्त स्थगन की अवधि सुनवाई की तारीख अनुसार दिनांक 22.09.2016 तक बढ़ाई हुई है। जिस वक्त दिनांक 27.06.2016 को जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2144 भरा गया, तब भी स्थगन आदेश प्रभाव में था जिसकी जानकारी रेस्पाडेण्टगण को पूर्णरूपेण थी जो कि अपील संख्या 15/2010 में प्रस्तुत संशोधित शीर्षक की प्रमाणित प्रति दिनांक 27.03.2014 से स्पष्ट है एवं रेस्पोडेण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता मोहनलाल व मोतीसिंह द्वारा वकालतनामा भी पेश किया जा चूका था। इस प्रकार से माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध लम्बित अपील और अपील में पारित स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय के

क्रमश.....2

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

आदेशों की अवमानना करते हुए मृतक सत्यनारायण के स्थान पर रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 4 ने नायब तहसीलदार से मिलावट करते हुए अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करवा दिया एवं राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवा दिया एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा अर्जुनलाल पुत्र सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व सत्यनारायण के मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर नामान्करण संख्या 2144 दिनांक 27.06.2016 स्वीकृत कर दिया गया। स्थगन आदेश की प्रति भूमीधारी तहसीलदार देसूरी को पेश कर दी गई थी। इस प्रकार रेस्पोडेण्टगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा जारी स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए नामान्तरकरण संख्या 2144 दिनांक 27.06.2016 पारित कर दिया। जिसे खारिज फरमाया जावें। अपने तर्क की ताईद में वकील अपीलाण्ट द्वारा एक दृष्टांत 2013 DNJ (SC) 561 भी प्रस्तुत किया। उक्त नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पति/पिता के मध्य पारिवारिक बंटवाड़ा जो आपसी रजामंदी से लिखित रूप में किया गया था। उसकी भी पालना नहीं होने से भी नामान्तरकरण खारिज योग्य है। जैर अपील नामान्तरकरण रेस्पोडेण्टगण के पति/पिता की मृत्यु के चार वर्ष पश्चात श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी मिलावट कर स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए भरा गया, जिसके पूर्व अपीलाण्ट को न तो सुना गया, न ही नोटिस दिया गया, न ही सुनवाई या सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। इसलिए अपीलण्ट को जानकारी नहीं हुई। सर्व प्रथम जानकारी 05.09.2016 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई। तब नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील दिनांक 14.09.2016 को पेश की गई। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमावें।

वकील रेस्पोडेण्टगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रथम दृष्टया अपील म्याद बाहर होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें। जमाबंदी संवत् 2070–2073 में सत्यनारायण पुत्र रामकुमार कौम नन्दवाना बोहरा खसरा संख्या 2180 से 2183 तक का खातेदार दर्ज था। जिसकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिशान को दर्ज किया गया है। जिन्हें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में भी पक्षकार बनाया गया है। इससे जो भी निर्णय होगा उसके अनुरूप पक्षकार भी प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति मे जो नामान्तरकरण सत्यनारायण के फौत होने से उनके वारिशान के नाम भरा गया। वह विधी अनुरूप है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में प्रकरण संख्या 15/2010 अमृतलाल बनाम मृत रामकुमार के वारिशान के मध्य सन् 2010 में दर्ज हो चूका था एवं पारिवारिक बंटवाड़ा 23.01.2012 में नोटरी के समक्ष किया गया। इसी बंटवाड़े के समझोते को उक्त प्रकरण 15/2010 में ही न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के मध्य किया जाना चाहिए था। इस प्रकार बंटवाड़े को सहमति से व वैधानिक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि माननीय न्यायालय में संबंधित अपील में प्रस्तुत कर, उक्त न्यायालय द्वारा सही मानकर स्वीकार नहीं किया जाता। जैर अपील नामान्तरकरण फौत हुए व्यक्ति के वारिशान के नाम भरा गया है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2010 अमृतलाल बनाम स्व.रामकुमार के का.मु. में रेस्पोडेण्ट संख्या 5 को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसको स्थगन की जानकारी नहीं है तथा उससे प्रभावित भी नहीं है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जाकर जैर अपील नामान्तरकरण यथावत रखा जावें।

पत्रवली का अवलोकन किया गया, उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का भी ससम्मान अवलोकन किया गया।

क्रमश.....3

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

वकील अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा दिए गए यथा स्थिति के आदेश के बावजूद भरा जाने का आरोप लगाते हुए निरस्त करने का निवेदन किया है। इसलिए अपील को न्याय की दृष्टि से गुणावगुण पर विचारार्थ अन्दर म्याद शुमार मानी जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2144 स्वीकृत दिनांक 27.06.2016 में वर्णित आराजी ख0न0 2180 से 2183 ग्राम नाडोल चक II के संबंध में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 15/2010 अमृतलाल बनाम मृत रामकुमार के वारिशान के प्रकरण को दर्ज किए जाने कि प्रथम आदेशिका दिनांक 10.05.2010 में ही स्थगन प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 2144 दिनांक 27.06.2016 में वर्णित आराजी नाडोल चक II ख0न0 2180 से 2183 तक दिनांक 01.07.2010 तक यथावत रखे जाने का आदेश दिया गया था। उक्त स्थगन आदेश की अवधि आगे से आगे सुनवाई तारीख पेशी तक बढ़ायी गई है तथा उक्त स्थगन आदेश की अवधि पत्रावली संलग्न आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रति अनुसार 28.07.2016 तक बढ़ाई गई है। जिसमें सभी रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 4 पक्षकार है तथा जैर अपील नामान्तरकरण रेस्पोडेण्ट अर्जुनलाल पुत्र सत्यनारायण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भरा गया, जबकि अर्जुनलाल को स्थगन आदेश बाबत जानकारी थी क्योंकि वह भी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2010 में सत्यनारायण की मृत्यु पश्चात प्रस्तुत संशोधित शीर्षक दिनांक 27.03.2014 के अनुसार पक्षकार है एवं अपील विचाराधीन है। जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय द्वारा दिया गया स्थगन आदेश नामान्तरकरण संख्या 2144 भरे जाने की दिनांक 27.06.2016 को प्रभावी होने के बावजूद स्वीकृत किया गया है। जो नियम विरूद्ध व प्रभाव शुन्य होने से निरस्त योग्य है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2144 दिनांक 27.06.2016 को अपास्त किया जाकर इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में विचाराधीन अपील संख्या 15/2010 बअनवान अमृतलाल बनाम मृत रामकुमार के का.मु. के बाद निर्णय के विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही की जावें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल नामान्तरकण तहसीलदार देसूरी को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली